

न्यायालय उपायुक्त, पाकुड़

Eviction Appeal No.-14/2018-19

मोफिजुद्दीन शेख

बनाम

शमशेर मियाँ

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाही के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
	<u>आदेश</u> यह अपीलवाद, अपीलकर्ता मोफिजुद्दीन शेख, पिता-हिम्मत शेख, सा0-रानीपुर, थाना-हिरणपुर, जिला- पाकुड़ झारखण्ड के द्वारा विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के न्यायालय के आई0ई0आर0 वाद सं0- 50/2016-17 में दिनांक-31.01.2019 को पारित आदेश के विरुद्ध दाखिल किया गया है। इस वाद में शमशेर मियाँ उर्फ शमशेर अंसारी, पिता-कासीम मियाँ, सा0-जबरदाहा, थाना-हिरणपुर, जिला पाकुड़, झारखण्ड को पक्षकार बनाया गया है। मामला संक्षेप में यह है कि शमशेर मियाँ (इस वाद के उत्तरवादी) के द्वारा अंचल-लिट्टीपाड़ा के मौजा-जबरदाहा के जमाबंदी सं0-58 के दाग सं0-583 अन्तर्गत आंशिक रकवा 37फीट X 14फीट जमीन से मोफिजुद्दीन शेख (इस वाद के अपीलकर्ता) को उच्छेद करने हेतु निम्न न्यायालय में आवेदन दाखिल किया गया। दाखिल आवेदन पर आर0ई0आर0 वाद सं0-50/16-17 प्रारम्भ करते हुए दिनांक-31.01.2019 को अंतिम रूप से पारित आदेश द्वारा प्रश्नगत भूमि से मोफिजुद्दीन शेख (इस वाद के अपीलकर्ता) को उच्छेद किया गया। यह अपील वाद इसी आदेश के विरुद्ध दाखिल किया गया है। उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत बहस को विस्तार से सुना गया। अपीलकर्ता के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि निम्न न्यायालय द्वारा तथ्यों की सही तरीके से विवेचना नहीं की गई तथा केवल अंचल अधिकारी, लिट्टीपाड़ा के जॉच प्रतिवेदन के आधार पर आदेश पारित कर दिया गया। निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश त्रुटिपूर्ण है तथा निरस्त होने योग्य है। प्रश्नगत दाग अन्तर्गत कुल रकवा 00-11-10 धुर जमीन विगत सर्वे खतियान में मकबुल मियाँ एवं मफीजुद्दीन मियाँ दोनों का पिता-चौधरी मियाँ के नाम से दर्ज है। अंचल अधिकारी के जॉच प्रतिवेदन में मफीजुद्दीन मियाँ को नावल्द बताया गया है जबकि वो नावल्द नहीं थे, बल्कि उनके एक पुत्र अबुल मियाँ हुए एवं वर्तमान में उनके वंशज जीविज है। अतः सम्पत्ति केवल मकबुल मियाँ के वंशजों की नहीं है।	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2
	उनका आगे कहना है कि प्रश्नगत भूमि खतियान में किस्म बाड़ी कहकर दर्ज है। बाड़ी किस्म की भूमि कृषि भूमि नहीं है अतः SPT Act 1949 की धारा 42 इस पर लागू नहीं होगी। धारा 42 केवल कृषि भूमि पर लागू होती है। प्रश्नगत भूमि 37फीट X 14फीट जमीन उन्हें सरकार द्वारा सलाना किराये पर बंदोवस्त की गई है तथा इसका लगान भी अपीलकर्ता अदा करते आ रहे हैं। उत्तरवादी के द्वारा निम्न न्यायालय में Cause of Action के बारह वर्षों के बाद आवेदन दाखिल किया गया है, जो कालबाधित है। प्रश्नगत मामला Civil Nature का है तथा यह कोर्ट इसके निर्णय हेतु सक्षम नहीं है। उनके द्वारा अपील आवेदन स्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त (Set-aside) करने का अनुरोध किया गया। उत्तरवादी के विज्ञा अधिवक्ता का कहना है कि प्रश्नगत दाग सं0-583 अन्तर्गत कुल रकवा 00-11-10 धुर जमीन विगत सर्वे खतियान में खतियानी रैयत मकबुल मियाँ एवं मफीजुद्धीन मियाँ के नाम से दर्ज है। मफीजुद्धीन मियाँ की मृत्यु नावलद हो गई। उत्तरवादी खतियानी रैयत मकबुल मियाँ के पौत्र है तथा इस तरह प्रश्नगत भूमि के वैध उत्तराधिकारी है। अपीलकर्ता का खतियानी रैयत से कोई संबंध नहीं है तथा वे बाहरी व्यक्ति है। दाग सं0-583 से सटे दाग सं0-582 अवस्थित है जो अनावादी खाता में हाट कहकर दर्ज है। उक्त हाट से संबंधित दाग सं0-582 में कुछ व्यक्तियों को वार्षिक भूतल भाड़ा पर व्यवसाय चलाने हेतु अस्थायी बंदोवस्ती दी गई थी। ऐसे बंदोबस्तदार उनकी जमीन दाग सं0-583 में अवैध रूप से कब्जा कर लिये है। दाग सं0-583 खतियान में बाड़ी आउल कहकर दर्ज है जो कृषि भूमि है। उनका आगे कहना है कि निम्न न्यायालय द्वारा तथ्यों की बिल्कुल सही तरीके से विवेचना कर आदेश पारित किया गया है। उनके द्वारा अपील आवेदन को अस्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय के आदेश को बरकरार रखने का अनुरोध किया गया। सम्पूर्ण अभिलेख का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। उभय पक्ष इस बात पर सहमत है कि मौजा-जबरदाहा नं0-15 एक अविक्रयशील मौजा है तथा जमाबंदी सं0-58 के दाग सं0-583 अन्तर्गत 00-11-10 धुर जमीन विगत सर्वे खतियान में मकबुल मियाँ एवं मफीजुद्धीन मियाँ के नाम से दर्ज है। अंचल अधिकारी, लिट्टीपाड़ा के पत्रांक-142/रा0, दिनांक-08.05.2013 के अनुसार प्रश्नगत भूमि का किस्म बाड़ी आउल खतियान में दर्ज है। उत्तरवादी शमशेर मियाँ खतियानी रैयत मकबुल मियाँ के वंशज है। अन्य खतियानी रैयत मफीजुद्धीन मियाँ की मृत्यु नावलद प्रतिवेदित की गई है। अपीलकर्ता का कहना है कि प्रश्नगत भूमि का किस्म बाड़ी है अतः SPT Act

की कम
ति और
साक्ष्य

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई
कार्रवाई के बारे में
टिप्पणी, साक्ष्य
सहित

1

2

3

1949 की धारा 42 इस पर प्रभावी नहीं होगी। इस संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय, बिहार, पटना द्वारा Jhagru Mahto Vrs. Ravan Hansda 1972 BLR xxvii में दर्ज न्याय निर्णय प्रासंगिक है, जिसका उद्धरण निम्नवत् है :-

"The expression Agricultural land has not been defined anywhere in the act and in the ordinary course it may mean a piece of land over which operation of husbandry may be carried on. In this connection it is better to refer sec 69 of the act. It base acquisition of right inter alia over the official holding grassing land, Jaher than and burning and burial ground etc. Agricultural land include all the land on which agricultural process are carried on. Land fit for cultivation or land required for persons or animals connected with the agricultural operation usually carried on in the village."

स्पष्ट है कि बाड़ी आउल भूमि कृषि भूमि ही है, अतः SPT Act 1949 की धारा 42 इस पर प्रभावी होगी।

अपीलकर्ता का कहना है कि प्रश्नगत भूमि उन्हें वार्षिक किराया पर बंदोवस्त की गई है, परन्तु इस संदर्भ में उनके द्वारा कोई कागजात/दस्तावेज दाखिल नहीं किया गया, जिससे उनके दावे की पुष्टि हो सके। वैसे भी रैयती जमीन को बंदोवस्त किए जाने का कोई प्रावधान SPT Act 1949 में नहीं है। अतः उनके इस दावे को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

अपीलकर्ता का यह भी कहना है कि प्रश्नगत मामले में उत्तरवादी का आवेदन कालबाधित है तथा मामला Civil nature का है। इस संदर्भ में SPT Act 1949 की धारा 64 का उल्लेख किया जाना उचित है। उक्त धारा का उद्धरण निम्नवत् है :-

"All applications made under this act for which no period of limitation is provided else where in this act, shall be made within one year from date of the accruing of the cause of action : Provided that there shall be no period of limitation for an application under section 42"

उक्त धारा से स्पष्ट है कि Sec 42 के तहत limitation की कोई अवधि नहीं है। प्रश्नगत मामला Civil nature का कैसे हो सकता है इस संदर्भ में अपीलकर्ता मौन है।

प्रश्नगत मामले में अंचल अधिकारी से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई थी। अंचल अधिकारी, लिट्टीपाड़ा के पत्रांक-588/रा0, दिनांक-15.12.2022 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। प्रतिवेदनानुसार अपीलकर्ता द्वारा दाग सं0-583 पर रकबा 37फीट X

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2
	14फीट भूमि पर दुकान बनाकर अतिक्रमण किया गया है। उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अपीलकर्ता द्वारा दाग सं0-583 अन्तर्गत रकबा 37फीट X 14फीट भूमि पर जबरन कब्जा किया गया है। अतः निम्न न्यायालय के आदेश से असहमत होने का कोई औचित्य पूर्ण एवं तर्कसंगत कारण नहीं है। अतः निम्न न्यायालय के आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए अपीलकर्ता को प्रश्नगत भूमि से SPT Act 1949 की धारा 42 के तहत उच्छेद किया जाता है। शेष आदेश यथावत् रहेंगा। अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को आदेश का अवलोकन करा दें। लेखापित एवं संशोधित।  उ. पा. यु. कर्त, पाकुड़।  उ. पा. यु. कर्त, पाकुड़।